

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 57
दिल्ली को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	951.00	...	951.00	968.01	200.00	1168.01	968.01	280.00	1248.01	968.01	380.00	1348.01
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	951.00	...	951.00	968.01	200.00	1168.01	968.01	280.00	1248.01	968.01	380.00	1348.01
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
1. 1984 के दंगा पीड़ितों को संबद्धित क्षतिपूर्ति	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
2. केंद्रीय करों और शुल्कों में शेयर के बदले अनुदान
3. संघ राज्य क्षेत्र आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
4. संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता	951.00	...	951.00	951.00	...	951.00	951.00	...	951.00	951.00	...	951.00
5. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (चंद्रावल जल शोधन संयंत्र)	0.01	200.00	200.01	0.01	280.00	280.01	0.01	380.00	380.01
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	951.00	...	951.00	968.01	200.00	1168.01	968.01	280.00	1248.01	968.01	380.00	1348.01
कुल जोड़	951.00	...	951.00	968.01	200.00	1168.01	968.01	280.00	1248.01	968.01	380.00	1348.01
ख. विकास शीर्ष												
अन्य												
1. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	951.00	...	951.00	968.01	...	968.01	968.01	...	968.01	968.01	...	968.01
2. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	200.00	200.00	...	280.00	280.00	...	380.00	380.00
जोड़-अन्य	951.00	...	951.00	968.01	200.00	1168.01	968.01	280.00	1248.01	968.01	380.00	1348.01
कुल जोड़	951.00	...	951.00	968.01	200.00	1168.01	968.01	280.00	1248.01	968.01	380.00	1348.01

1. **1984 के दंगा पीड़ितों को संबद्धित क्षतिपूर्ति:** इसमें 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए संबद्धित क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है।

2. **केंद्रीय करों और शुल्कों में शेयर के बदले अनुदान:** संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय करों और केंद्रीय सहायता में शेयर के बदले अनुदान को व. अ. 2023-24 से संघ राज्य क्षेत्रों केंद्रीय सहायता में शामिल कर दिया गया है।

3. **संघ राज्य क्षेत्र आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान:** यह प्रावधान संघ राज्य क्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि में अंशदान के संबंध में अनुदान के लिए है।
4. **संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की योजनाओं के वित्तपोषण के लिए है।
5. **विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (चंद्राबल जल शोधन संयंत्र):** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए है।